संख्याः 313545 /IV(2)–श0वि0–2025/47(सा0)21 (71288)

प्रेषक,

गौरव कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक–15, जुलाई, 2025**

विषयः केन्द्रपोषित योजना अमृत 2.0 के अन्तर्गत Jal Hi Amrit Initiative हेतु स्पर्श एस0एन0ए0 के अन्तर्गत मदर सैंक्शन के रूप में प्राप्त धनराशि के उपयोग की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अपर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्र संख्याः 554/830/AMRUT 2.0 SBM 2.0/2020-21, दिनांक 17.05.2025 तथा अनु सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 09.05.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रपोषित योजना अमृत 2.0 के अन्तर्गत Jal Hi Amrit Initiative हेतु स्पर्श एस0एन0ए0 के अन्तर्गत मदर सैंक्शन के रूप में प्राप्त धनराशि **कुल रू0 14.53 करोड (रूपये चौदह करोड़ त्रेपन लाख मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि के उपयोग की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि के उपयोग हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगाः–

(1) नवीन व्यवस्थानुसार कोषागार से धनराशि एस0एन0ए0 अकाउंट में स्थानान्तरित नहीं की जानी है, अपितु भुगतान हेतु प्रत्येक अवसर पर कोषागार में देयक प्रस्तुत किया जाना है।

(2) वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक में सुसंगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपरोक्तानुसार प्रदत्त अनुमति के अन्तर्गत ही धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त/उपयोग करते समय भारत सरकार द्वारा जारी Guidelines/Toolkit में उल्लिखित दिशा–निदेशों तथा तत्सम्बन्ध में अग्रेत्तर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न हीं पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(5) भारत सरकार द्वारा दी गयी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि, वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगी।

(6) भारत सरकार द्वारा धनराशि जिन कार्यों/योजनाओं हेतु प्रदान की गयी है, उन्हीं पर व्यय की जाय। स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों/योजनाओं/कार्यों पर न किया जाय।

(7) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियामवली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय–व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) वर्तमान वित्तीय वर्ष में वित्तीय स्वीकृति निर्गमन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः दिनांक 31.03.2025 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का शीघ्रतिशीघ्र उपयोग सुनिश्चित कर तद्नुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/भारत सरकार को निर्धारित प्रारूपों पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) मदर सैंक्शन के रूप में प्रश्नगत धनराशि स्वीकृत किये जाने सम्बन्ध आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 09.05.2025 में उल्लिखित समस्त शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक के **अनुदान सं0–13** के अन्तर्गत लेखाशीर्षक, '2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–01–केन्द्र सहायतित योजना–13–अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (90% के0पो0) फेज–2–70–केन्द्रांश में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत अनुमति की धनराशि के सीमान्तर्गत किया जायेगा।

4– यह आदेश वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्याः 287566/09(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by
Gaurav Kumar
Date: 11-07-2025
17:41:21

भवदीय,

(गौरव कुमार)
अपर सचिव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़, देहरादून।
2– निदेशक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (HFA-III & V Division), भारत सरकार।
3– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– सम्बन्धित जिलाधिकारीगण, **द्वारा–शहरी विकास निदेशालय।**
5– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 14-07-2025
14:00:25

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।